कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–माध्य / बजट / बी–4 / 25577 / 2022–23 / 78 दिनांकः– 25/04/2022

परिपत्र

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प.4(48)वित्त–1(1) / आ.व्य / 2021 दिनांक 29.03.2022 के बिन्दु संख्या 1 में सुगम समेकित (Consolidated) Pool बजट की व्यवस्था की गई है, जिसमें संवेतन, मजदूरी, पेंशन, यात्रा व्यय, चिकित्सा व्यय, जल एवं विद्युत, टेलीफोन एवं किराया, दर एवं रॉयल्टी के अतिरिक्त अन्य सभी विस्तृत मद (Object Head) बी.एफ.सी. मिनट्स की शर्तों के अनुरूप तथा विभाग द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति से सम्बद्ध कर ही व्यय किया जावे, अंकित किया गया है। अतः इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं :–

1. विभाग के अधिनस्थ समस्त आहरण–वितरण अधिकारी वर्ष 2022–23 के लिए संवेतन, यात्रा व्यय, RRT (भवन किराया) के उपमदों में वास्तविक व्यय के आधार पर व्यय करने के लिए अधिकृत होंगे।
2. उपर्युक्त के अतिरिक्त 04–चिकित्सा व्यय उपमद में वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6(10)वित्त (नियम) / 2021 पार्ट जयपुर दिनांक 01.02.2022 के अनुसार दिनांक 30.09.2021 तक के चिकित्सा दावे विभाग को 31.03.2022 तक ही स्वीकार किए जाने थे। उसी क्रम में विभाग द्वारा प्राप्त समस्त दावों के लिए राज्य सरकार से अतिरिक्त बजट की मांग की गई है। अतः चिकित्सा व्यय में निदेशालय की स्वीकृति / अधिकृति अनुसार व्यय किया जावे।
3. अधिनस्थ उप निदेशक (प्रशासन), रोकड़ अनुभाग, उप निदेशक (समाज शिक्षा), संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, सार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल, शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, नेत्रहीन, मूक बधिर विद्यालय, गुरूनानक भवन संस्थान जयपुर, जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) उपमदकार्यालय व्यय के अन्तर्गत जल एवं विद्युत, टेलीफोन के अलावा अन्य दावों का चुकारा निदेशालय की स्वीकृति / अधिकृति के पश्चात ही करेंगे।
4. अधिनस्थ माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालयों द्वारा कार्यालय व्यय मद में निदेशालय की स्वीकृति / अधिकृति अनुसार व्यय किया जावे।
5. उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य विस्तृत मदों यथा अनुरक्षण एवं मरम्मतें, छात्रवृत्ति, खेलकूद, मैस व्यवस्था, संविदा व्यय, वृत्तिक एवं विशिष्ट सेवाऐं, वाहन किराया, डिक्रीटल, संचार व्यय, पत्र–पत्रिकाओं पर व्यय, आदि में निदेशालय द्वारा जारी स्वीकृति / अधिकृति के आधार पर व्यय किया जाना है।

उपर्युक्त बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित की जावे।

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–माध्य / बजट / बी–4 / 25577 / 2022–23 / 78 दिनांकः– 25/04/2022

1. उप निदेशक(प्रशासन), शिक्षा विभाग, कार्यालय हाजा
2. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा (संभाग कार्यालय) शिक्षा विभाग
3. सिस्टम एनालिस्ट (सं.नि.), कार्यालय हाजा को विभागीय वैबसाईट पर जारी करने हेतु।
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (विधि), माध्यमिक शिक्षा
5. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान,बीकानेर / अजमेर
6. प्रधानाचार्य, राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जोधपुर
7. प्रबन्धक, गुरूनानक संस्थान, आदर्श नगर, जयपुर
8. प्रधानाचार्य, राजकीय सार्दुल स्पोर्टस स्कूल, बीकानेर
9. प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक, मूक बधिर अंध विद्यालय,अजमेर / जयपुर / बीकानेर / उदयपुर / जोधपुर / बांसवाड़ा
10. प्रधानाचार्य, प्रज्ञा चक्षु अंध विद्यालय, उदयपुर
11. उप निदेशक(समाज शिक्षा), बीकानेर
12. वरिष्ठ सम्पादक, शिविरा प्रकाशन को आगामी अंक में प्रकाशन हेतु
13. सम्बन्धित अधिकारी / प्रभारी ....
14. बजट ग्रुप प्रभारी

वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर

Scanned with CamScanner